This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 03 मार्च, 2021 / 12 फाल्गुन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2021

No. HFW-B(B)15-19/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to de-notify Dr. RPGMC, Tanda District Kangra, H.P. as Dedicated Covid Health Centre (DCHC) and Dedicated

Covid Hospital and further to restore all pre-pandemic services/functions in Dr. RPGMC, Tanda, District Kangra, H.P. with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to notify the newly constructed Make shift Hospital as Dedicated Hospital for COVID and machinery, staff; outsourced staff deployed through service providers at Dr. RPGMC, Tanda, District Kangra, H.P. for COVID related duties shall be deployed at 'Make Shift Hospital' at Dr. RPGMC, Tanda, District Kangra till 31-3-2021 in the public interest.

By order,
AMITABH AWASTHI,
Secretary.

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 1 मार्च, 2021

नस्ति सं0 ई0 डी0एन0–ए–क(4)–1 / 2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित न्यायनिर्णयन सिविल अपील नम्बर 11290 / 2013 के अन्तिम परिणाम के अध्यधीन, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 डी0 एन0–ए–क (3)–1 / 2011, द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2011 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) नियम, 2011 के नियम 3 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(3) अध्यक्ष और सदस्य, आयोग के मुख्यालयों पर, ऐसी सरकारी वास सुविधा के आबंटन को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार आवासीय वास सुविधा, यदि सामान्य पूल में उपलब्ध है, के हकदार होंगे।

(4) अध्यक्ष और सदस्य मकान किराया भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों / अनुदेशों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार मकान किराया भत्ता (एच0 आर0 ए0) के हकदार होंगे। दूरभाष सुविधाएं राज्य सरकार के, ऐसी प्रसुविधाओं को प्रदान करने से सम्बन्धित, समय–समय पर जारी आदेशों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार ही अनुज्ञेय होंगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता के पात्र होंगे जैसे सरकार के यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित आदेशों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के ग्रेड–I के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

(6) अध्यक्ष और सदस्य सरकार के सुसंगत नियमों / अनुदेशों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार चिकित्सा प्रसुविधाओं, छुट्टी और अवकाश यात्रा प्रसुविधा (एल0 टी0 सी0) के हकदार होंगे"।

आदेश द्वारा,
राजीव शर्मा,
सचिव (शिक्षा)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification Number EDN-A-Ka(4)-1/2020 dated 01-03-2021as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 171 002, the 1st March, 2021

No. EDN-A-Ka(4)-1/2020.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011, published in the Rajptra, Himachal Pradesh dated 27th July, 2011 *vide* this department notification number EDN-A-Ka(3)-1/2011, subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 11290/ 2013 pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 3.—In Rule 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011, for sub Rules (3), (4), (5) and (6), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The Chairperson and members shall be entitled to the residential accommodation at the headquarters of the Commission, if available in general pool, as per their entitlement under the Rules governing allotment of such Government accommodation.

(4) The Chairperson and members shall be entitled to House Rent Allowance (HRA) as per their entitlement under the rules/instructions issued by the government from time to time relating to the grant of HRA. The telephone facilities will also be admissible as per their entitlement under the orders of the State Government issued from time to time relating to grant of such facilities.

(5) The Chairperson and the members shall be entitled to such Travelling allowance and Daily Allowance as are admissible to the Grade-I Officers of the State Government as specified under the orders of the Government relating to the grant of TA/DA.

(6) The Chairperson and the members shall be entitled to the medical benefits, leave and LTC facility as per their entitlement under the relevant rules/instructions of the Government."

By order,

RAJEEV SHARMA,
Secretary (Education).

कार्यालय उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, हि0प्र0

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2021

संख्याः कनर (सामान्य निर्वाचन) / 2020–1446–70.––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए मैं, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश निम्न सारणी अनुसार पंचायत समिति कल्पा, पूह व निचार के निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नाम व पता जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं :––

क्र0 सं0	पंचायत समिति का नाम	पद का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का नाम व पता	टिप्पणी
1.	कल्पा	अध्यक्ष	श्री गंगा राम पुत्र श्री ठाकुर राम, गांव व डाकघर रोघी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित
		उपाध्यक्ष	श्रीमती छेः डोलमा पत्नी श्री राजेश कुमार, गांव व डाकघर थैमगारंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित
2.	पूह	अध्यक्ष	श्रीमती इन्दु किरण पत्नी श्री अजय कुमार, गांव व डाकघर लिप्पा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित
		उपाध्यक्ष	श्रीमती अनिता पत्नी श्री सोहन सिंह, गांव व डाकघर चारंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित
3.	निचार	अध्यक्ष	श्रीमती राजवन्ति पत्नी श्री देविंदर सिंह, ग्राम व डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित
		उपाध्यक्ष	श्रीमती पदम मणी पत्नी स्वर्गीय श्री माया राम, ग्राम व डाकघर चगांव, उप तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	निर्वाचित

हस्ताक्षरित / –
उपायुक्त,
जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, हि0प्र0

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2021

संख्याः कनर (सामान्य निर्वाचन) / 2020–1471–91.––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 126 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के उप–नियम 124 के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश निम्न सारणी अनुसार जिला परिषद् किन्नौर के निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नाम व पता जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं:–

क्र0 सं0	जिला परिषद् का नाम	पद का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का नाम व पता	टिप्पणी
1.	किन्नौर	अध्यक्ष	श्री निहाल सिंह पुत्र श्री सीता राम, गांव व डाकघर कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	ड्रा ऑफ लॉट द्वारा निर्वाचित
		उपाध्यक्ष	श्रीमती प्रिया नेगी पत्नी श्री सूरज सिंह, गांव व डाकघर जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश।	ड्रा ऑफ लॉट द्वारा निर्वाचित

हस्ताक्षरित / –
उपायुक्त,
जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

––––––––––

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th January, 2021

No.HHC/Admn.6 (24)74-XI.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge, upon the following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ` 10 lacs within the local limits of the District mentioned against their names w.e.f. the assumption of charge :

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Designation and place of posting	District
1.	Sh. Manu Prinja	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. III, Ghumarwin.	Bilaspur
2.	Sh. Sumit Thakur	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. IV, Mandi.	Mandi
3.	Sh. Som Dev	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. II, Sarkaghat.	Mandi

4.	Sh. Vikas Kapoor	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. VII, Shimla.	Shimla
5.	Ms. Chunauti Sagroli	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. IV, Una.	Una
6.	Ms. Parveen Lata	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. VIII, Shimla.	Shimla
7.	Ms. Divya Sharma	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. II, Kasauli.	Solan
8.	Sh. Shavik Ghai	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Jubbal	Shimla
9.	Ms. Anulekha Tanwar	Civil Judge, Leave/Training Reserve in the High Court of H.P.	Shimla
10.	Ms. Megha Sharma	Civil Judge, Leave/Training Reserve in the High Court of H.P.	Shimla
11.	Ms. Sheetal Gupta	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. II, Paonta Sahib.	Sirmaur
12.	Ms. Ritu Sinha	Civil Judge, Leave/Training Reserve in the High Court of H.P.	Shimla
13.	Ms. Sharuti Bansal	Civil Judge, Leave/Training Reserve in the High Court of H.P.	Shimla
14.	Ms. Priyanka Devi	Civil Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Court No. III, Amb.	Una

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd January, 2021

No.HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of administration, Sh. Niranjan Singh, Mobile Traffic Magistrate, Mandi & Kullu at Mandi is transferred and posted as Civil Judge-*cum*-JMIC, Thunag with immediate effect.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH

REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th December, 2020

No.HHC/GAZ/14-329/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' earned leave for 22-11-2019 and 23-11-2019 in favour of Sh. Gaurav Kumar, Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P.

Certified that Sh. Gaurav Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Gaurav Kumar would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th December, 2020

No.HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 18-11-2020 to 21-11-2020 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Civil Judge-*cum*-JMIC (II), Ghumarwin, H.P.

Certified that Ms. Deepali Gambhir has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMIC (II), Ghumarwin, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th May, 2020

No. HHC/GAZ/14-289/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of one day's commuted leave for 02-01-2020 in favour of Shri Vivek Sharma, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Kangra, H.P.

Certified that Shri Vivek Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vivek Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 02 मार्च, 2021

संख्या वि0स0–विधायन–अनु0 बजट / 1–05 / 2021.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक–1) जो आज दिनांक 02 मार्च, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2021 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए ₹91,25,11,89,458 की और राशि जारी करना।

3. विनियोग ।

अनुसूची ।

2021 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 है।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए ₹91,25,11,89,458 की और राशि जारी करना.**––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ₹91,25,11,89,458 (नौ हजार एक सौ पच्चीस करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार चार सौ अठावन रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. **विनियोग.**––इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	संचित निधि पर प्रभारित ₹	कुल ₹
1	2		3	4	5
01	विधान सभा	(राजस्व)	71,24,472	–	71,24,472
		(पूंजीगत)	5,00,000	–	5,00,000
02	राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	–	33,05,000	33,05,000
03	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	19,000	–	19,000
		(पूंजीगत)	1,22,97,000	–	1,22,97,000
04	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	4,63,19,284	–	4,63,19,284
		(पूंजीगत)	1,000	–	1,000

05	भू–राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	5,000	—	5,000
		(पूंजीगत)	1,63,77,000	—	1,63,77,000
06	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	17,01,27,429	—	17,01,27,429
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	14,000	9,42,078	9,56,078
		(पूंजीगत)	10,79,08,069	—	10,79,08,069
08	शिक्षा	(राजस्व)	15,000	72,57,962	72,72,962
		(पूंजीगत)	18,96,46,000	—	18,96,46,000
09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	18,000	40,00,000	40,18,000
		(पूंजीगत)	1,08,00,12,000	—	1,08,00,12,000
10	लोक निर्माण– सड़क, पुल तथा भवन	(राजस्व)	1,000	27,85,913	27,86,913
		(पूंजीगत)	2,25,52,72,300	17,77,46,772	2,43,30,19,072
11	कृषि	(राजस्व)	4,000	5,30,404	5,34,404
12	उद्यान	(राजस्व)	86,74,11,809	—	86,74,11,809
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	2,000	8,49,791	8,51,791
		(पूंजीगत)	3,000	2,95,10,000	2,95,13,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	8,000	—	8,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	(राजस्व)	3,000	—	3,000
16	वन और वन्य प्राणी	(राजस्व)	71,000	1,07,352	1,78,352
17	निर्वाचन	(राजस्व)	14,04,89,000	—	14,04,89,000
		(पूंजीगत)	5,00,00,000	—	5,00,00,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	1,000	—	1,000
		(पूंजीगत)	22,73,000	—	22,73,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	24,43,08,992	—	24,43,08,992
		(पूंजीगत)	2,000	—	2,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	4,000	33,636	37,636
		(पूंजीगत)	60,00,000	—	60,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	2,49,13,493	13,04,251	2,62,17,744
		(पूंजीगत)	58,54,96,800	—	58,54,96,800
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	6,000	—	6,000
		(पूंजीगत)	9,00,000	—	9,00,000

23	विद्युत विकास	(राजस्व)	34,20,27,352	—	34,20,27,352
		(पूंजीगत)	1,000	—	1,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	2,58,67,78,000	8,51,486	2,58,76,29,486
		(पूंजीगत)	45,83,65,000	—	45,83,65,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	4,000	—	4,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	11,14,18,860	—	11,14,18,860
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व)	78,45,67,000	10,00,00,000	88,45,67,000
		(पूंजीगत)	5,53,25,450	—	5,53,25,450
29	वित्त	(राजस्व)	4,000	8,000	12,000
		(पूंजीगत)	—	80,02,63,12,000	80,02,63,12,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	8,84,20,486	2,27,25,415	11,11,45,901
		(पूंजीगत)	84,99,000	—	84,99,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	45,000	—	45,000
		(पूंजीगत)	6,15,70,000	2,46,547	6,18,16,547
32	अनुसूचित जाति उप–योजना	(राजस्व)	31,000	—	31,000
		(पूंजीगत)	56,80,63,055	—	56,80,63,055
	जोड़	**(राजस्व)**	**5,41,41,61,177**	**14,47,01,288**	**5,55,88,62,465**
		(पूंजीगत)	**5,45,85,11,674**	**80,23,38,15,319**	**85,69,23,26,993**
		कुल जोड़	**10,87,26,72,851**	**80,37,85,16,607**	**91,25,11,89,458**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री ।

शिमलाः
तारीखः 01 मार्च, 2021

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्याः फिन–ए–सी (6)–1 / 2020)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2021

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Issue of a further sum of ₹ 91,25,11,89,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2020-2021.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

————————

Bill No. 1 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2021.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2021.

2. Issue of a further sum of ₹91,25,11,89,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2020-2021.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ₹ 91,25,11,89,458 (Rupees Nine thousand one hundred twenty five crore, eleven lakh, eighty nine

thousand, four hundred, fifty eight) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly in ₹	Charged on the Consolidated Fund in ₹	Total in ₹
1	2	3	4	5
01	Vidhan Sabha (Revenue)	71,24,472	-	71,24,472
	(Capital)	5,00,000	-	5,00,000
02	Governor and Council of Ministers (Revenue)	-	33,05,000	33,05,000
03	Administration of Justice (Revenue)	19,000	-	19,000
	(Capital)	1,22,97,000	-	1,22,97,000
04	General Administration (Revenue)	4,63,19,284	-	4,63,19,284
	(Capital)	1,000	-	1,000
05	Land Revenue and District Administration (Revenue)	5,000	-	5,000
	(Capital)	1,63,77,000	-	1,63,77,000
06	Excise and Taxation (Revenue)	17,01,27,429	-	17,01,27,429
07	Police and Allied Organisations (Revenue)	14,000	9,42,078	9,56,078
	(Capital)	10,79,08,069	-	10,79,08,069
08	Education (Revenue)	15,000	72,57,962	72,72,962
	(Capital)	18,96,46,000	-	18,96,46,000
09	Health and Family Welfare (Revenue)	18,000	40,00,000	40,18,000
	(Capital)	1,08,00,12,000	-	1,08,00,12,000
10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings (Revenue)	1,000	27,85,913	27,86,913
	(Capital)	2,25,52,72,300	17,77,46,772	2,43,30,19,072

11	Agriculture	(Revenue)	4,000	5,30,404	5,34,404
12	Horticulture	(Revenue)	86,74,11,809	-	86,74,11,809
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue) (Capital)	2,000 3,000	8,49,791 2,95,10,000	8,51,791 2,95,13,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	8,000	-	8,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue)	3,000	-	3,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	71,000	1,07,352	1,78,352
17	Election	(Revenue) (Capital)	14,04,89,000 5,00,00,000	- -	14,04,89,000 5,00,00,000
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue) (Capital)	1,000 22,73,000	- -	1,000 22,73,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue) (Capital)	24,43,08,992 2,000	- -	24,43,08,992 2,000
20	Rural Development	(Revenue) (Capital)	4,000 60,00,000	33,636 -	37,636 60,00,000
21	Co-operation	(Revenue) (Capital)	2,49,13,493 58,54,96,800	13,04,251 -	2,62,17,744 58,54,96,800
22	Food and Civil Supplies	(Revenue) (Capital)	6,000 9,00,000	- -	6,000 9,00,000
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	34,20,27,352 1,000	- -	34,20,27,352 1,000
25	Road and Water Transport	(Revenue) (Capital)	2,58,67,78,000 45,83,65,000	8,51,486 -	2,58,76,29,486 45,83,65,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	4,000	-	4,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	11,14,18,860	-	11,14,18,860

28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue)	78,45,67,000	10,00,00,000	88,45,67,000
		(Capital)	5,53,25,450	-	5,53,25,450
29	Finance	(Revenue)	4,000	8,000	12,000
		(Capital)	-	80,02,63,12,000	80,02,63,12,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	8,84,20,486	2,27,25,415	11,11,45,901
		(Capital)	84,99,000	-	84,99,000
31	Tribal Development	(Revenue)	45,000	-	45,000
		(Capital)	6,15,70,000	2,46,547	6,18,16,547
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue)	31,000	-	31,000
		(Capital)	56,80,63,055	-	56,80,63,055
	Total	**(Revenue)**	**5,41,41,61,177**	**14,47,01,288**	**5,55,88,62,465**
		(Capital)	**5,45,85,11,674**	**80,23,38,15,319**	**85,69,23,26,993**
		Grand Total	**10,87,26,72,851**	**80,37,85,16,607**	**91,25,11,89,458**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2020-2021.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA:
The 1st March, 2021

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-C (6)-1/2020)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2021, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

CHARGE ASSUMPTION REPORT

Shimla-9, 26th February, 2021

No. 8-LSA/State Authority/95/464-482.—I have been directed to inform that **Hon'ble Mr. Justice Ravi Vijay Kumar Malimath**, Judge, High Court of Himachal Pradesh has assumed the charge as **Executive Chairman** of H.P. State Legal Services Authority, Shimla on 26-2-2021 in pursuance of Government of Himachal Pradesh, Law Department Notification No. LLR-B(14)-2/2006, dated 25th February, 2021.

Sd/-
(PREM PAL RANTA) ,
Member Secretary,
H.P. State Legal Services Authority,
Shimla-171 009.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 25th February, 2021

No. P.F./LSA/N.Agarwal/2018/448-454.— Hon'ble the Patron-in-Chief, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant **6 days** earned leave *w.e.f.* **1-3-2021 to 6-3-2021** with permission to prefix gazetted holiday and Sunday falling on 27-2-2021 and 28-2-2021 and suffix Sunday falling on 7-3-2021 in favour of **Shri Nikhil Agarwal**, Secretary, District Legal Services Authority, Kinnaur at Reckong-Peo.

Certified that Shri Nikhil Agarwal will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Nikhil Agarwal would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Kinnaur at Reckong-Peo, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Member Secretary,
H.P. State Legal Services Authority,
Shimla-9.

In the Court of Sh. Amar Singh, Executive Magistrate-cum**-Tehsildar Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Anita Rangera w/o Sh. Manohar Lal, r/o V.P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.-—Correction of name in Service Record.

Smt. Anita Rangera w/o Sh. Manohar Lal, r/o V.P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has submitted her application alongwith affidavit as well as other relevant documents with the prayer that her name before marriage was Anita Devi and she has changed her name to Anita Rangera after marriage general public is hereby informed through this publication that Anita Devi & Anita Rangera are the two names of one and same person. If any one have any objection with regard to the change of name as Anita Rangera, they can file their objection on or before 20-03-2021, in any manner otherwise it will be presumed that general public have no objection to correct the name.

Given under my hand and seal today on 8th February, 2021

Seal.

AMAR SINGH,
Executive Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Amar Singh, Executive Magistrate-cum**-Tehsildar Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Jaya Rangera w/o Sh. Rattan Chand Rangera, r/o Village Mundkhar Gainda, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.-—Correction of name in Service Record

Smt. Jaya Rangera w/o Sh. Rattan Chand Rangera, r/o Village Mundkhar Gainda, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has submitted her application alongwith affidavit as well as other relevant documents with the prayer that her name before marriage was JAI BANTI DEVI and she has changed her name to JAYA RANGERA after marriage general public is hereby informed through this publication that JAI BANTI DEVI & JAYA RANGERA are the two

names of one and same person. If any one have any objection with regard to the change of name as JAYA RANGERA, they can file their objection on or before 20-03-2021, in any manner otherwise it will be presumed that general public have no objection to correct the name.

Given under my hand and seal today on 8th February, 2021

Seal.

AMAR SINGH,
Executive Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 05–03–2021

संदीप ठाकुर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल झुलाड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संदीप ठाकुर पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज कागजात है जबकि महाल झुलाड़ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संदीप पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके महाल झुलाड़ में संदीप उपनाम संदीप ठाकुर पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज करवाना चाहता है। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थी द्वारा परिवार नकल की प्रति, आधार कार्ड व सकूल प्रमाण–पत्र की प्रति, प्रतिलिपी हाल जमाबन्दी, महाल झुलाड़ व शपथ–पत्र प्रस्तुत की गई जिससे उसके सही नाम की पुष्टि होना पाया गया।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 05–03–2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01–02–2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06–03–2021

जगजीत सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव गोरडा, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल गोरडा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम जगजीत सिंह पुत्र अमर सिंह दर्ज कागजात है जबकि महाल गोरडा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जगदीश कुमार पुत्र अमर सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके महाल गोरडा के राजस्व अभिलेख में जगदीश कुमार उपनाम जगजीत सिंह पुत्र अमर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थी द्वारा परिवार नकल की प्रति, आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रति, प्रतिलिपी हाल जमाबन्दी, महाल गोरडा व शपथ–पत्र प्रस्तुत की गई जिससे उसके सही नाम की पुष्टि होना पाया गया।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06–03–2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01–02–2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06–03–2021

महिन्द्र सिंह पुत्र साहबो उपनाम साहब सिंह, निवासी गांव व डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल शाहपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका व उसके पिता का सही नाम महिन्द्र सिंह पुत्र साहबो उपनाम साहब सिंह है जबकि महाल शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महिन्द्र कुमार पुत्र साहबो दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके महाल शाहपुर के राजस्व अभिलेख में महिन्द्र सिंह पुत्र साहबो उपनाम साहब सिंह दर्ज करवाना चाहता है। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थी द्वारा परिवार नकल की प्रति, आधार कार्ड व सेना प्रमाण–पत्र की प्रति, प्रतिलिपी हाल जमाबन्दी, महाल शाहपुर व शपथ–पत्र प्रस्तुत की गई जिससे उसके सही नाम की पुष्टि होना पाया गया।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06–03–2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01–02–2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण पेशी दिनांक : 06–03–2021

1. पवन कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

2. ज्योति पुत्री प्रशोतम लाल, निवासी गांव लुथर, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण करने बारे।

पवन कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व ज्योति पुत्री प्रशोतम लाल, निवासी गांव लुथर, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी पवन कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजार है कि उसकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 27–07–2020 को हुई है परन्तु गलती के कारण उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जिसे प्रार्थीगण अब दर्ज करवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्राम पंचायत रजोल, तहसील ज्वाली द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार ज्योति पुत्री प्रशोतम लाल, निवासी गांव लुथर, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम वहां के परिवार रजिस्टर से उसके विवाह उपरान्त काट दिया गया है।

अतः इस बारे आम जनता व ज्योति पुत्री प्रशोतम लाल, निवासी गांव लुथर, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के मायका पक्ष को इस इश्तहार के माध्यम से मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता

है कि प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि उन्हें कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–03–2021 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–02–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 05–03–2021

ओम प्यारी शर्मा पुत्री सोम दत, निवासी गांव व डाकघर कुठार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 18–05–1957 को महाल प्रेई में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 05–03–2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2021 तारीख मजरूआ : 20–02–2021 तारीख पेशी : 13–04–2021

नितिन ठाकुर पुत्र श्री दमोदर दास ठाकुर, निवासी पजौट, डाकघर खोला नाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

नितिन ठाकुर पुत्र श्री दमोदर दास ठाकुर, निवासी पजौट, डाकघर खोला नाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम नितिन ठाकुर है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल शिल्हाकीपड़ पटवार वृत्त नेला, तहसील सदर में उनका नाम नितिन कुमार दर्ज है जोकि गलत है, जिसे सही किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13–04–2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 20–02–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहन सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2021 तारीख मजरूआ : 20–02–2021 तारीख पेशी : 12–04–2021

श्री मोलक राम पुत्र उदमीया, निवासी गांव भरौण, डाकघर दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
.. वादी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोलक राम पुत्र उदमीया, निवासी गांव भरौण, डाकघर दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री उदमीया राम की मृत्यु दिनांक 20–03–1976 को मकाम भरौण, डाकघर दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुई है परन्तु

किन्हीं कारणरवश वह अपने पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं जिसे दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12–04–2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 20–02–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहन सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Manoj Kumar s/o Dagnu Ram, r/o Bhadan, P.O. Sianj, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Mukta Thakur d/o Lal Singh, r/o Banoun (Jabral), P.O. Baloh, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Manoj Kumar and Mukta Thakur have filed an application on 10-02-2021 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-06-2020 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-03-2021. The objection received after 15-03-2021will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-02-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

ANIL KUMAR BHARDWAJ,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है